

OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व ₹ 70,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Daily News

#BahraichPoliceInNews
<https://linktr.ee/mediacellbahraich>

हिन्दुस्तान

किशोरी से रेप मामले में दस वर्ष की सजा

अदालत से

अभियुक्त को 10 वर्ष की कारावास की सजा दण्डित किया गया। अदालत ने 70 हजार का मुकदमा भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई।

दुष्कर्मियों को 10 वर्ष की सजा, 70 हजार जुर्माना

2017 की अज्ञात महिला की दुष्कर्म का मामला है। न्यायालय ने 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।

दालत से

विशेष न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई।

Bahraich Police
 24/7 @BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich

CONVICTING THE CRIMINALS

Meticulous Investigation & Prosecution

बहराइच पुलिस

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **#OperationConviction** के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक **12.08.2024** को माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/ विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है -

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना जरखल रोड में पंजीकृत मु०अ०स० 2403/2017 धारा 363, 366, 376 भा०द०वि०, 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोप में अभियुक्त निकिल कुमार पुत्र प्रताप निवासी मदारपुर थाना जरखल रोड जनपद बहराइच को **10 वर्ष का कारावास व ₹ 70,000/- के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

शंभू प्रताप सिंह
 विशेष न्यायाधीश

आर्य भूजस भूषण मराठवा
 सॉर्टेरी

आर्य शिवदूतन वर्मा
 पैरवा